न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :- 47/2020

शीर्षक

1. नरसी पुत्र मालीराम , उम्र-50 वर्ष, जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली, तन करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र कालूराम
2. सीताराम पुत्र भगवाना
3. शंकरलाल पुत्र भगवाना
4. संज्या देवी पत्नी भगवाना समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली तन करीरी, तह. शाहपुरा जिला जयपुर
5. सीता देवी पत्नी कैलाश पुत्री भगवाना
6. मंगली देवी पत्नी महेन्द्र पुत्री भगवाना
   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी दुजडोल्या की तन बरवाडा तहसील चौमूं जयपुर
7. पिंटू देवी पत्नी कृष्ण पुत्री भगवाना जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बावडी की तन तिगरिया तहसील चौमूं जयपुर।
8. रामस्वरूप पुत्र कालूराम
9. रोहिताश पुत्र कालूराम
10. बल्लू पुत्र सुरजा
11. श्यामलाल पुत्र सुरजा
12. घूडाराम पुत्र सुरजा
13. जडाव देवी पत्नी सुरजा
    समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर
14. सीता देवी पुत्री सुरजा पत्नी सीताराम जाति अहीर निवासी ढाणी ताराका वाली अणतपुरा तहसील चौमूं जयपुर।
15. फूली देवी पुत्री सुरजा पत्नी दानाराम जाति अहीर निवासी ढाणी ताराका वाली अणतपुरा तहसील चौमूं जयपुर।
16. मेवू पुत्री सुरजा व्यस्क जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर
17. पटवारी हल्का करीरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
18. उपपंजीयक अधिकारी –अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
19. नायब तहसीलदार उप तहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

21. शंकरलाल पुत्र मालीराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली तन करीरी, तह. शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1961/0.15, 2660/0.96 है0 कुल किता 2 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

2. यह कि उक्त भूमि में वादी के नाम हिस्सा 1/8 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 के नाम 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 कैलाश के नाम 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता व पति मृतक भगवाना के नाम 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 रामस्वरूप के नाम 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 रोहिताश के नाम 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के नाम 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 16 के पिता व पति मृतक सुरजा पुत्र नाथू के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 के पूर्वज मालीराम व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वज मे मध्य अरसा करीब 60 वर्ष पूर्व उपरोक्त भूमि का आपस की समझाइस सहमति व रजामंदी से मौके पर बटवारा हो गया था उसके पश्चात सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से बटवारे में आई भूमि को काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि के उत्तरी तरफ के 1/4 भाग पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी अपने पूर्वज मालीराम के समय से काबिज है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी के दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 1,8,9 का 1/4 भाग पर व इसके दक्षिण में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 व 10 लगायत 16 का 1/2 भाग पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा है व इसी बटवारे

के अनुसार पक्षकार अपने–अपने हिस्से व बटवारे की भूमि को काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं।

आराजी खसरा नम्बर 2664 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन चाह में पुराना कुआं बना हुआ था जिसमें वादी के पूर्वज खीवा व गंगाबक्स के नाम से पुराना विद्युत सम्बन्ध लगा हुआ है जिसका पूर्व में वादी के पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं किन्तु उक्त कुए में पानी सूख जाने के कारण वादी के पूर्वजों ने विवादित भूमि मे लगती हुई पूर्व की तरफ स्थित उनके हिस्से व खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2662 में नये कुऐ का निर्माण करवाया व पुराने कुऐ में स्थित विद्युत सम्बन्ध को उक्त खसरा नम्बर में शिफ्ट करवा ली। खसरा नम्बर 2660 में अपने हिस्से व बटवारे की भूमि के मध्य तक सीमेंट के पाईप दबाकर सिचाई करने लग गये तत्पश्चात उक्त कुऐ में पानी सूख जाने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने वर्ष 2002 में कुऐ के पास बोरिंग बना कर उक्त बिजली से सिंचाई करते आ रहे हैं। इस कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि में लाखों रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। हाल नक्शा ट्रेस में आराजी खसरा नम्बर 1981, 2660 मध्य से जो रास्त अंकन किया गया है वह मौके पर अस्तित्व में नही हैं बल्कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से उक्त रास्ते को हाल खसरा नम्बर 1981 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे पश्चिम से उत्तर की ओर स्थित है। उक्त रास्ते में अपने–अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में आवागमन करते हैं। वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 2662 में अपना पुख्ता मकान बनाकर निवास कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादी अपने बटवारे की भूमि के दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम में तारबंदी कर रखी है। इस कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हिस्से में आई भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व अधिकार नही रहा है। प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए हैं वे बिना किसी अधिकार के उपरोक्त भूमि की शामलाती खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से आराजी के वादी के कब्जे काश्त की भूमि को अन्य दीगर को रहन बहहस्तांतरित कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाना व वादी व तरतीबी प्रतिवादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने व दीगर को कब्जा करवाना चाहते हैं। अर्सा 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वह वादी व तरतीबी प्रतिवादी के रास्ते से आवागमन में बाधाकारित करेंगें व रास्ते को बंद कर देगें। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि का कानूनी बटवारा करवाने हेतु कहा तो इंकार कर दिया इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य आपसी सहमति से हुए बटवारे अनुसार भूमि का कानूनी बटवारा करवा कर उसका पृथक से राज लगान निर्धारण करवा कर इसका राजस्व रिकार्ड में अमल करावे प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि में कोई मदाखलत बेजा पैदा नहीं करे। रास्ता बन्द नहीं करे वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करने देवे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण में उनके अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 19.07.2021 को वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री हेतु निवेदन करने पर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया गया। दिनांक 24.08.2021 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, बंटवारा रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने बंटवारा रिपोर्ट कुर्रेजात आपत्ति के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार नहीं की गई है। बंटवारा रिपोर्ट मौके व सरस नरस के अनुसार तैयार नहीं गई है बल्कि बंटवारा रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अन्त मे निवेदन किया गया है कि बंटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः पक्षकार की उपस्थिति में तैयार की जावे। वकील अप्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट सभी पक्षकारान को उपस्थिति में तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट सरस नरस व रास्ते को छोडकर तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षकार उपस्थित रहे है। जिनके फोटोग्राफ भी है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थनापत्र खारीज कर बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट उप तहसीलदार अमरसर द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में सरस नरस के आधार पर तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट में रास्ते को भी दर्शाया गया है। बटवारा रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षकार उपस्थित थे उनके द्वारा बटवारा कुर्रेजात पर हस्ताक्षर नही किये गये हैं बटवारा रिपोर्ट मौके पर कब्जे काश्त व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तैयार की गई है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रकरण को मात्र देरी ना करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारीज किया जाता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। कि आराजी खसरा नम्बर 1981/0.15, 2660/0.96 कुल किता 2 रकबा 1.11है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **नरसी शंकर पिता मालीराम हिस्सा बह. जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ0ख0न0 2660/2 रकबा 0.2650है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।**

सहायक
शाहपुरा (जि... जयपुर) रा

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 17/2021

शीर्षक

1. नरसी पुत्र मालीराम , उम्र–50 वर्ष, जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली, तन करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र कालूराम
2. भीवाराम पुत्र भगवाना
3. शंकरलाल पुत्र भगवाना
4. संज्या देवी पत्नी भगवाना समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली तन करीरी, तह. शाहपुरा जिला जयपुर
5. सीता देवी पत्नी कैलाश पुत्री भगवाना
6. मंगली देवी पत्नी महेन्द्र पुत्री भगवाना
   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी दुजडोल्या की तन बरवाडा तहसील चौमूं जयपुर
7. मिंटू देवी पत्नी कृष्ण पुत्री भगवाना जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी बावडी की तन तिगरिया तहसील चौमूं जयपुर।
8. रामस्वरूप पुत्र कालूराम
9. रोहिताश पुत्र कालूराम
10. बल्लू पुत्र सुरजा
11. श्यामलाल पुत्र सुरजा
12. घूडाराम पुत्र सुरजा
13. जडाव देवी पत्नी सुरजा
   समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर
14. सीता देवी पुत्री सुरजा पत्नी सीताराम जाति अहीर निवासी ढाणी ताराका वाली अणतपुरा तहसील चौमूं जयपुर।
15. फूली देवी पुत्री सुरजा पत्नी दानाराम जाति अहीर निवासी ढाणी ताराका वाली अणतपुरा तहसील चौमूं जयपुर।
16. मंजू पुत्री सुरजा व्यस्क जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर
17. पटवारी हल्का करीरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
18. उपपंजीयक अधिकारी –अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
19. नायब तहसीलदार उप तहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

21. शंकरलाल पुत्र मालीराम जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी ठाकरावाली तन करीरी, तह. शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। कि आराजी खसरा नम्बर 1981/0.15, 2660/0.96 कुल किता 2 रकबा 1.11है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. नरसी शंकर पिता मालीराम हिस्सा बह. जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ0ख0न0 2660/2 रकबा 0.265 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. कैलाश, रामस्वरूप रोहिताश पि0 कालूराम हिस्सा बह. जाति अहिर सा0 देह आराजी खसरा नम्बर 1981/1 रकबा 0.125 व 2660/1 रकबा 0.140 है0 कुल किता 2 रकबा 0.265 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

3. बल्लू पुत्र सुरजा हिस्सा 1/3 ,सुरजा पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 , भगवाना पुत्र चूना राहित भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 1981/3 रकबा 0.015 है0, आ.ख.नं. 2660/4 रकबा 0.515 कुल किता 2 रकबा 0.53 है0 भूमि हिस्से में रहेगीं।

4. कैलाश, रामस्वरूप रोहिताश पि0 कालूराम हिस्सा 1/4 नरसी शंकरलाल पि0 मालीराम हिस्सा 1/4 बल्लू पुत्र सुरजा हिस्सा 1/6 ,सुरजा पुत्र नाथू हिस्सा 1/12 , भगवाना पुत्र चूना राहिन भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/4 जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ0ख0न0 1981/2 रकबा 0.01, 2660/3 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 रकबा 0.05 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज तारीख 2/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जि. ..यपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	